Avadh Law College
Barabanki

Criminal procedure code
1973

LL.B. 3 year 3rd semester

Unit-III

Syllabus-

- Investigation
- Search warrant
- Search by police officer
- General provision relating searches
- Seizure

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki

Investigation:-(अन्वेषण)

सामान्य तौर पर जांच और अन्वेषण को एक ही समझा जाता है। परंतु दंड प्रक्रिया संहिता इन दोनों को दो पृथक कार्यवाही मानती है और तदनुरूप व्यवहार करती है जांच की कार्रवाई सदैव मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा संचालित होती है और स्वयं में विचारण न होकर विचारण करने के प्रयोजन से की जाती है ।जबकि अन्वेषण का कार्य किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है और अन्वेषण साक्ष्य संग्रह के प्रयोजन से किया जाता है।

अन्वेषण का उद्देश्य-:

अन्वेषण का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि क्या अभिकथित अपराध किया गया है और यदि वह किया गया है तो वह कौन व्यक्ति था जिसके द्वारा वह किया गया है इस कार्य के संपादन में अन्वेषण

अधिकारी को कदम कदम पर इस स्पष्टीकरण का साक्ष्य देना होगा कि किस प्रकार उसने अन्वेषण को संपादित किया ।

अन्वेषण को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 (h) में परिभाषित किया गया है।
धारा 2 एच के अनुसार
अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाएं।

यह उपधारा ऐसी कार्रवाइयों को अन्वेषण की परिधि के भीतर रखती है जो इस संहिता के अधीन पुलिस द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाती है।

इस संहिता की धारा 202 के अंतर्गत ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसके यहां किसी अपराध का परिवाद किया गया है अधिकृत किया गया है कि वह यह jविनिश्चित करने के लिए की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किये जाने के लिए निर्देश दे सकता है इस तरह वे समस्त कार्यवाहियां अन्वेषण की कार्यवाहियां होती हैं जो साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 12 में अन्वेषण के संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है
दंड प्रक्रिया संहिता में पुलिस अधिकारी की अन्वेषण करने की शक्ति निम्न है-

1-
संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी की अन्वेषण की शक्ति

2-
असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी की अन्वेषण की शक्ति

संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति धारा 156:-

(1) कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है।
(2) किसी ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था
(3) धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है

इस धारा का उद्देश्य मामलों में अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी को शक्ति प्रदान करना है संज्ञेय मामलों में सामान्यता अन्वेषण का प्रारंभ धारा 154 के अधीन पुलिस थाने के भार साधक

अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई सूचना के आधार पर किया जाता है यद्यपि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध के अन्वेषण के लिये आवश्यक नहीं है।

किसी प्रथम इतना रिपोर्ट के अभाव में भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी धारा 157 (1)के अधीन अन्वेषण के लिए प्रस्थान कर सकता है यदि उसे किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की आशंका होती है तथा मजिस्ट्रेट भी किसी परिस्थिति में थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध के लिए अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्वेषण की प्रक्रिया तब प्रारंभ हो सकती है जब-
(1)- धारा 154 के अधीन प्रथम इतना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो तो अन्वेषण धारा 157 और धारा 156 के अंतर्गत हो सकता है।
(2)- जहां किसी सक्षम मजिस्ट्रेट ने धारा 155 के अधीन किसी संगे अपराध का अथवा धारा 200 के अधीन परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान ग्रहण किए बिना धारा 156 के अधीन पुलिस को कोई परिवाद भेज कर अथवा किसी परिवाद पर अपराध का संज्ञान ग्रहण करने के बाद धारा 202 और 203 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करने के प्रश्न पर विनिश्चय करने के प्रयोजन से पुलिस को अन्वेषण के लिए आदेश दिया है।

धारा 157 में अन्वेषण के लिए प्रक्रिया विहित की गई है इसके अनुसार यदि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन व सशक्त है तो उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराध का पता लगाने और गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी को भेजेगा ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करें।
परंतु-
(क) जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई सूचना किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक ना होगा कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजें
(ख) यदि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को भी प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण नहीं करेगा

परंतु यह भी की बलात्कार के अपराध के संबंध में पीड़ित का बयान पीड़ित के निवास पर अथवा उसकी पसंद के स्थान पर और यथासंभव उसके माता-पिता या संरक्षक यह निकट नातेदारी या मोहल्ले के समाज सेवक की उपस्थिति में स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा लेखवद्ध किया जाएगा।

उप धारा (1) के परंतुक के खंड का और खंड ख में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और उस परंतुक के खंड ख में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी सूचना देने वाले को यदि कोई हो ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण न तो करेगा और न कराएगा।

इसी प्रकार धारा 166-क के अंतर्गत भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए प्रावधान किया गया है तथा धारा 166-ख के अंतर्गत भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए प्रावधान किया गया है।

Search warrant(तलाशी वारंट)

तलाशी वारंट क्या है?

तलाशी वारंट का तात्पर्य एक ऐसे लिखित प्राधिकार से है जो किसी सक्षम मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा किसी पुलिस अधिकारी अथवा व्यक्ति को निर्दिष्ट होता है इस प्राधिकार के बल पर ऐसा पुलिस अधिकारी अथवा व्यक्ति सामान्य रूप से किसी स्थान की अथवा विनिर्दिष्ट किसी दस्तावेज या चीज की या सदोष परिरुद्ध व्यक्ति की तलाश करता है।

तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है (धारा 93):-

1-(क) जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उप धारा (1) के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है ऐसे सामान्य अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करें अथवा
(ख) जहां ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा
(ग) जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी,
वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतरबिष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है।

2-यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में कुछ विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है कि केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग् की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट है।

3-इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है धारा 94:-
1-यदि जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है और ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है निक्षिप्त विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह-

क-उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे

ख-वारंट में विनिर्दिष्ट रीत से उसकी तलाशी ले

ग-वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है होने का उसे उचित संदेह है कब्जे में ले

घ-ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखें या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखें

ङ-ऐसे स्थान में पाए गए प्रत्येक व्यक्ति को रक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी एक ऐसी संपत्ति या वस्तु के नीचे विक्रय या उत्पादन मैं यह जानते हुए यह संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसद भी रहा है की यथास्थिति ए चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है जिसको यह धारा लागू होती है

2- वे आपत्तिजनक वस्तुएं जिनको यह धारा लागू होती है निम्नलिखित है-

क- कूटकृत सिक्का

ख- धातु टोकन अधिनियम 1889 के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्ति अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु- खंड

ग- कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्टांप

घ- कूट रचित दस्तावेज

ङ- नकली मुद्राएं

च भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं

छ- खंड क से च तक के खंडों में उल्लिखित वस्तुओं में से किसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री

कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति (धारा 95) :-

धारा 95 के अंतर्गत किसी समाचार पत्र पुस्तक या दस्तावेज के प्रकाशन को समपहृत कर लेने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है इस धारा के साथ पठित धारा 96 की प्रकृति स्पष्ट रूप से निवारक है और लोक व्यवस्था के प्रति किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा के पूर्व अवचिंतन के रूप में इनका निर्माण किया गया है।

समपहृत करने की शक्ति का प्रयोग निम्न शर्तों के अंतर्गत किया जा सकता है-

1- इस शब्द का उपयोग केवल राज्य सरकार द्वारा दिया जा सकता है
2- राज्य सरकार भी इस शब्द का प्रयोग केवल तब कर सकती है जब उसे यह प्रतीत हो कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो कोई ऐसी बात अंतरविस्ट है जिसका प्रकाशन भारती दंड संहिता की धारा 124 क या धारा 153 क या धारा 153 ख या धारा 292 या धारा293 या धारा 295 क के अधीन दंडनीय है।
3- ऐसा प्रतीत होने पर राज्य सरकार ऐसे समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज कि प्रत्येक प्रतीक का सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना कर सकती है।

सदोष परिरूद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी धारा 97:-

यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरूद्ध है जिनमें वह परिरूद्ध अपराध की कोटि में आता है तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसे परिरूद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा जो ऐसा आदेश करेगा जैसा कि उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो।

Search by police officer (पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी) धारा 165-:

1- जो कभी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार है कि ऐसे किसी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की जिसका वह बाहर साधक है या जिससे वह संलग्न है सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर इसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है यह तलाशी लिवा सकता है।

2- उप धारा (1) के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य है तलाशी स्वयं लेगा।

3- यदि वे तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेख वध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान को जिसकी तलाशी ली जानी है और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है विनिर्दिष्ट किया जाएगा और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा।

4- तलाशी वारंट ओ के बारे में इस संहिता के उपबंध और तलाशी यों के बारे में धारा 100 के साधारण इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को जहां तक हो सके लागू होंगे।

5- उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएंगी जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निशुल्क दी जाएगी।

इस धारा के उपबंध पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है आवश्यक किसी चीज की तलाशी के लिए शक्ति प्रदान करते हैं यदि ऐसी चीज पुलिस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान पर पाई जा सकती है तो उस स्थान की तलाशी उप धारा 1 में उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत ली जा सकती है इस संबंध में द्वारा 100 के उपबंध भी लागू होते हैं।

General provision relating to search (तलाशी संबंधी साधारण उपबन्ध)

धारा 99 तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि-:

धारा 38, 70, 72, 74, 77, 78,और 79 के उपबंध जहां तक हो सके उन सब तलाशी वारंटो को लागू होंगे जो धारा 93 धारा 94 धारा 95 या धारा 97 के अधीन जारी किए जाते हैं।

धारा 100 बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे-:

1- जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है तब उसे स्थान में निवास करने वाला या उसका भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अवाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

2- यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उप धारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।

3- जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है उचित रुप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर ऐसी कोई वस्तु छुपाए हुए हैं जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति स्त्री है तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी।

4- इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने की वाला हो तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनाने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उस मोहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा

5- तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुरूप अभिगृहीत सब चीजों को और जिन जिन स्थानों में पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारियों या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्ष्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले

किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो।

6- तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी कोया उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

7- जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजें की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी।

8- कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा जो उसे प्रदत या निवेदन किया गया है बुलाए जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना इंकार या उसमें उपेक्षा करेगा उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

धारा 101 अधिकारिता से परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन-:

जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में जो उच्च न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे हैं उन चीजों में से जिसके लिए तलाशी ली गई है कोई चीजें पाई जाए तब वे चीजें इसमें इसके पश्चात अंतर वेस्ट उप बंधुओं के अधीन तैयार की गई उनकी सूची के सहित उच्च न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएगी किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है जो वहां अधिकारिता रखता है तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाइ जाएंगी और जब तक तत्प्रतिकूल अच्छा कारण ना हो वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा।

धारा 102- कुछ संपत्ति को अभिग्रहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति-:

1- कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अबकी रहित कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथनयह संदेह है कि वह चुराई हुई है अथवा जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो।

2- यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के बाहर साधक के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा।

3- उप धारा 1 के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अधिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा और जहां अभिगृहीत संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है या जहां संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं समझा जाता है वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबंध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करें कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए तब न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके व्ययन की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा।

परंतु जहां उप धारा 1 के अधीन अधिग्रहित की गई संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है अथवा अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य ₹500 से कम है तो उसका पुलिस के अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलाम द्वारा विक्रय किया जा सकेगा और धारा 457 और 458 के उपबंध यथाशक्य निकटतम व्यवहार्य ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे।

इस धारा का उद्देश्य पुलिस अधिकारी को संदेहास्पद संपत्ति अभिगृहीत कर लेने की शक्ति प्रदान करना है ।

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki